भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **2280** जिसका उत्तर
शुक्रवार, **15 दिसंबर**, **2023/ 24 अग्रहायण**, 1945 (शक) को दिया जाना है

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

†2280. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दस वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा ओडिशा राज्य में कार्यान्वित की जा रही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं का वर्ष/ योजना/ जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त प्रत्येक योजना के लिए आबंटित, संस्वीकृत और जारी की गई निधि का वर्ष/ योजना/ जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान निर्धारित और प्राप्त किए गए वास्तविक लक्ष्यों का वर्ष/ योजना/ जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उपरोक्त योजनाओं में से किसी के भी समय और लागत में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान ओडिशा राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को उक्त योजनाओं के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): भारत की 7,500 कि.मी. लंबी तटरेखा और 14,500 कि.मी. नौचालन संभाव्य जलमार्गों तथा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार मार्गों पर सामरिक अवस्थिति का उपयोग करने हेतु देश में पत्तन आधारित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सागरमाला, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की एक प्रमुख केन्द्रीय क्षेत्रक योजना है। सागरमाला योजना के तहत मंत्रालय, राज्य सरकारों को पत्तन अवसंरचना

परियोजनाओं, तटीय बर्थ परियोजनाओं, सड़क एवं रेल परियोजनाओं, मत्स्यन बंदरगाहों, कौशल विकास परियोजनाओं, तटीय समुदाय विकास, क्रूज टर्मिनल और रो-पैक्स फेरी सेवाओं आदि जैसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) से (च): पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की सागरमाला योजना के तहत ऐसी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है जो सामाजिक रूप से अत्यंत प्रभावशाली है किन्तु जिनसें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता अथवा लाभ की आंतरिक दर कम है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाओं के आधार पर मंत्रालय ने ओडिशा राज्य में आंशिक सहायता के लिए 340 करोड़ रु. मूल्य की 06 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 06 परियोजनाओं में से 4 करोड़ रु. मूल्य की 01 परियोजना पूरी की गई है और 330 करोड़ रु. मूल्य की 05 परियोजनाएं विकास और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के अंतर्गत है। ओडिशा राज्य में मंजूर और जारी निधियों, का विवरण और स्वीकृत निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा **अनुबंध-1** में दिया गया है।

अनुबंध-1

ओडिशा में स्वीकृत सागरमाला परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना का नाम	परियोजना की श्रेणी	कार्यान्वयन एजेंसी	परियोजना की स्थिति	परियोजना की लागत (करोड़ रु में)	स्वीकृत निधियां (करोड़ रु. में)	जारी निधियां (करोड़ रु. में)	स्वीकृति का वित्त वर्ष
1	तटीय जिला कौशल विकास कार्यक्रम- चरण-1- ओडिशा	कौशल विकास	ओआरएमएएस ग्रामीण विकास मंत्रालय (डीडीयू-जीकेवाई)	पूरी की गई	3.72	3.72	1.86	2016-17
2	ओडिशा में पारादीप पर मत्स्यन बंदरगाह का उन्नयन और आधुनिकीकरण	मत्स्य पालन	पारादीप पत्तन प्राधिकरण	कार्यान्वयन के अधीन	108.90	49.88	24.94	2021-22
3	चांदीपुर पर मत्स्यन बंदरगाह का निर्माण	मत्स्य पालन	मत्स्य पालन विभाग, ओडिशा सरकार	विकास के अधीन	50.00	12.49	4.99	2018-19
4	कनिनली और तालुचा, ओडिशा में रो-पैक्स जेट्टी और संबद्ध सुविधाएं	रो-रो और यात्री जेट्टी	पत्तन विभाग ओडिशा सरकार	विकास के अधीन	110.06	50.30	0.00	2021-22
5	ओडिशा के खुरदा जिला में बालुगांव और पुरी जिलें में कृष्णाप्रसाद गढ़ा में रो-पैक्स जेट्टी का निर्माण	रो-रो और यात्री जेट्टी	पत्तन विभाग ओडिशा सरकार	विकास के अधीन	54.00	22.00	0.00	2020-21

6	ओडिशा में सतपाड़ा और जहानीकुदम के बीच फैरी सेवा में सुधार	रो-रो और यात्री जेट्टी	पत्तन विभाग ओडिशा सरकार	विकास के अधीन	13.96	6.98	0.00	2022-23

टिप्पणी: क्रम सं. 4, 5 और 6 के लिए कार्यान्वयन एजेंसी से निधियों के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। संबंधित राज्य/ कार्यान्वयन एजेंसी से जैसे ही निधियां जारी करने का अनुरोध प्राप्त होता है, निधियां जारी कर दी जाएंगी।

*****